जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...™
JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2022/mmp/33 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 21 सितम्बर 2022

JDA के जोन 7 मे स्थित भूखंड संख्या डी-254 और डी-255 हनुमान नगर-डी ब्लॉक पर रातों-रात भूमाफियाओं ने बना दिए अवैध शोरूम!!

अवैध निर्माण करवाने मे,ना भू-उपयोग परिवर्तन करवाने की जरूरत और ना ही नक्शे पास करवाने की झंझट!!!

सबसे बड़ा सवाल?

मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी की सख्ती के बावजूद आखिर कौन कर रहा है इन अवैध शोरूमों को बनाने की हिम्मत?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

JDA के जोन 7 मे स्थित भूखंड संख्या डी-254 और डी-255 हनुमान नगर-डी ब्लॉक पर रातों-रात भूमाफियाओ ने बना दिए अवैध शोरूम!!

आपको बता दें कि JDA के जोन 7 मे स्थित 500-500 गज के दो आवासीय भूखंड संख्या डी -254 और डी-255 हनुमान नगर,डी ब्लॉक पर रातों-रात 5 शोरूमों का निर्माण करवाया जा रहा है|महज 2-3 दिनों मे इन अवैध निर्माणों को करवाने से स्थानीय निवासी भी हैरान है|उनका मानना है कि जरूर यह काम किसी रसुखदार है जिसके चलते दिन रात एक कर,इन भूखंडों पर लोहे के टीन शेड और खंभे खड़े कर,विशालकाय शोरूमों का निर्माण कर लिया गया है|

अवैध निर्माण करवाने मे,ना भू-उपयोग परिवर्तन करवाने की जरूरत और ना ही नक्शे पास करवाने की झंझट!!!

आपको बता दें कि JDA भवन विनियमों के अनुसार आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माण करवाने के लिए JDA की भू-उपयोग परिवर्तन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखना पड़ता है,जिसकी अनुमति उपरांत ही नक्शे पास करवाकर,व्यवसायिक निर्माण किया जाता है|लेकिन शायद इन अवैध शोरूमों का निर्माण करने वाले इन झंझटों मे नहीं पड़ना चाहते जिसके चलते ही इन अवैध शोरूमों को दिन रात मेहनत कर खड़ा किया जा रहा है|

सबसे बड़ा सवाल?मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी की सख्ती के बावजूद आखिर कौन कर रहा है इन अवैध शोरूमों को बनाने की हिम्मत?

नोटिस दे निर्माण रोका फिर भी 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई, अब सील

जवपुरा | जेडीए प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को अवैध निर्माण के मामले में सीलिंग की दो बड़ी कार्रवाई की। इनमें एक जगह अवैध निर्माणकर्ता ने हरे परदे की आड़ लेकर पांच मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग बना ली, वहीं दूसरी जगह चार भूखंडों में बिना अनुमति 8 अवैध विला का निर्माण कर लिया। अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर प्रवर्तन शाखा ने दोनों अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रखा। इस पर अवैध बिल्डिंग और 8 डुप्लेक्स को सील किया गया। मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन-4 में दुर्गापुरा स्थित पंचशील कॉलोनी में जीरो सेटबैक बेसमेन्ट सहित 5 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग की शिकायत मिली। नोटिस थमाया। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रखा। मंगलवार को ईंटों की दीवार से बिल्डिंग सील कर दी। वहीं, मालवीय नगर मॉडल टाउन में रेखा पटेल कॉलोनी में अवैध डुप्लेक्स सील किए गए।

जबसे JDA के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक पद पर,रघुवीर सैनी काबिज हुए है,तब से JDA क्षेत्र मे हो रहे अवैध निर्माणों पर काफी हद तक रोक लगी है|विगत 4 सालों मे कई रसुखदारों के अवैध निर्माणों को सील कर, श्री सैनी द्वारा बड़े बड़े रसुखदारों को आईना दिखाया गया है|लगभग रोज ही JDA प्रवर्तन द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियाँ अखबारों और समाचार चैनलों की सुर्खियां बनी रहती है|लेकिन इन शोरूमों के निर्माण मे हो रही जल्दबाजी से स्थानीय निवासियों मे कोतूहल है कि ऐसा कोन व्यक्ति है जिसे रघुवीर सैनी के बुलडोजर का भय नहीं है|यह हाल तो तब है जब हनुमान नगर मे कई बड़े बड़े आईएएस,आईपीएस अधिकारियों के बंगले है|उनकी नाक के नीचे हो रहे इन अवैध निर्माणों से हर कोई चकित है|

JDA के जोन 7 मे स्थित भूखंड संख्या डी-254 और डी-255 हनुमान नगर-डी ब्लॉक पर रातों-रात भूमाफियाओ ने बना दिए अवैध शोरूम!!

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	डी –254,255 हनुमान नगर,डी ब्लॉक,वैशालीनगर
2	संभावित गतिविधि	बिना सक्षम अनुमति बिना नक्शे पास करवाए,आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक निर्माण
3	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन-7
4	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री सुरेश यादव
5	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	21/09/2022

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंडों का व्यवसायिक भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मानदंडो का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड यू.डी. टैक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण मे किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले मे 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर मे अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे है। कोर्ट के आदेशो की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जो को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नही? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले मे कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

7. यदि इस बिल्डिंग मे नियम विरुद्ध निर्माण करवाया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार;मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध जेडीए को आज दिनांक तक कोई शिकायत नई प्राप्त हुई है क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?